# निविदा–प्रारूप

समय :– निविदा खोलने की तिथि:– 08.09.2026 प्रातः 11:00 बजे ।

समय :– बन्द लिफाफे में निविदा स्वीकार्य करने की अन्तिम तिथि:– 02.09.2026 सांय 05:00 बजे।

( लिफाफे पर कैंटीन/दुकान का विवरण लिखा हो )

नवीनतम फोटोग्राफ

1- निविदाकर्ता /फर्म/ संस्था का नाम एवं पता.....

.....

.....

..... मोबाइल न0.....

2- निविदा प्रतिभाग शुल्क धनराशि रू0 500.00 (रूपये पॉच सौ मात्र) के लिए डी0डी0 न0 .....दिनॉक.....

3– कैंटीन/दुकान का विवरण (जिसके लिए निविदा दी जा रही है) .....

4– निविदादाता द्वारा निविदित प्रति माह का किराया रू0.....

.....(शब्दों में)

( जो न्यूनतम निर्धारित किराये से अधिक होना चाहिए )।

5– कैंटीन/दुकान का विवरण संलग्न है।

आवश्यक संलग्नक –

1- निविदाकर्ता का पैन नं0 ( यदि हो ) _____
2- निविदाकर्ता का आधार कार्ड ( यदि हो ) _____
3- फर्म का पैन नं0 ( यदि हो ) _____
4- फर्म का जी0एस0टी0नं0 ( यदि हो ) _____
5- निविदा शुल्क का डी0डी0

नोटे :– वॉछित समस्त प्रपत्र की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र टेण्डर फॉर्म फीस रू0 500/–(रूपय पॉच सौ मात्र) वापिस नहीं की जायेगी। कार्यालय कार्य दिवसों में टेण्डर फार्म प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सम्पत्ति अनुभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर आवंटित किए जाने हेतु कैंटीन और दुकानों का विवरण

| क्र0सं0 | कैंटीन एवं दुकान का विवरण | निविदा हेतु प्रति माह किराये का आधार मूल्य ( रू0 में ) |
|---|---|---|
| 1 | कृषि महाविद्यालय के पास स्थित कैंटीन संख्या–01 | 10000.00 |
| 2 | मत्स्यिकी महाविद्यालय के पास स्थित कैंटीन संख्या–02 | 5000.00 |
| 3 | मत्स्यिकी महाविद्यालय के पास दुकान संख्या–02 | 3000.00 |
| 4 | मत्स्यिकी महाविद्यालय के पास दुकान संख्या–01 | 3000.00 |
| 5 | पोस्ट ऑफिस में बी 2 गैरेज | 600.00 |
| 4 | रसोई गैस गोदाम के पास दुकान संख्या टी–2 | 1200.00 |
| 6 | रसोई गैस गोदाम के पास दुकान संख्या–04 | 1800.00 |
| 7 | रसोई गैस गोदाम के पास दुकान संख्या टी–03 | 500.00 |
| 8 | रसोई गैस गोदाम के पास दुकान संख्या–03 | 1800.00 |
| 9 | रसोई गैस गोदाम के पास दुकान संख्या टी–01 | 1200.00 |
| 10 | पुराने भारतीय स्टेट बैंक भवन के सीढ़ी के नीचे दुकान संख्या– क | 600.00 |
| 11 | पुराने भारतीय स्टेट बैंक भवन के सीढ़ी के नीचे दुकान संख्या– ख | 900.00 |
| 12 | रसोई गैस गोदाम के पास दुकान संख्या टी–04 | 500.00 |
| 13 | कृषि महाविद्यालय के पीछे स्थित गुमटी | 600.00 |
| 14 | कालिन्दी छात्रावास के सामने स्थित दुकान | 1000.00 |
| 15 | महिला छात्रावास के सामने स्थित दुकान ( महिला उद्यमी के लिए आरक्षित) | 3000.00 |
| 16 | सैलून कार्य हेतु गुमटी रखने की अनुमति | 500.00 |

Scanned with OKEN Scanner

# नियम एवं शर्तें

1. निविदा फार्म सम्पत्ति अनुभाग से रू0 500/– नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की बेवसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500/– का बैंक ड्राफ्ट, ***वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पिठला, अयोध्या*** के पक्ष में देय होगा, जो कि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. भरे हुए निविदा फार्म में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग / कटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी। दर अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जाय। मोहरबन्द निविदा के साथ अन्य प्रमाण पत्र को लिफाफे में डालकर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा ***सम्पत्ति अनुभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज,*** में स्थित निविदा बाक्स में अन्तिम तिथि को सायं 5:00 बजे तक ही स्वीकार्य की जायेगी।

3. विद्युत कनेक्शन हेतु निदेशक निर्माण एवं संयत्र को मांग पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं बिल का भुगतान नियमित रूप से निदेशक निर्माण एवं संयत्र कार्यालय में जमा करना होगा।

4. स्टाल /दुकान के सामने की साफ–सफाई एवं सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक की होगी।

5. स्टाल /दुकान में किसी प्रकार का मादक द्रव्य, अश्लील, साहित्य एवं विस्फोटक आदि रखना वर्जित है।

6. प्रति माह का किराया एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। विलम्ब से जमा करने पर 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।

7. विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच/निरीक्षण समिति द्वारा किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर समिति की संस्तुति पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8. अग्नि शामक यंत्र को स्थापित करना तथा केन्द्र/ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर **कुलपति**, *आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या,* का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

10. स्टाल /दुकान का आवंटन प्रथम बार 02 वर्ष की अवधि हेतु किया जायेगा। 02 वर्ष के पश्चात समयावधि बढ़ाये जाने की दशा में किराये की दर में 25 प्रमिशत वृद्धि कर दी जायेगी।

11. उपरोक्त नियम व शर्तों के पालन करने हेतु आवंटन के पूर्व 10.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

# निविदा शर्तें एवं कैंटीन आवंटन/संचालन नियमावली

1– सफल निविदाकर्ता को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के साथ एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

2– पात्र पाई गयी फर्म को प्रथमतः दो वर्षों के लिए अनुबंध किया जाएगा। फर्म की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता को देखते हुए, अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक ( एक बार में एक वर्ष ) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। किन्तु फर्म को चालू वर्ष में देय का दस प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान अगले वर्ष देना होगा।

3– दोनो पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

4– खाद्य सामग्री सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता को प्राप्त आदेश, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलपति, आचार्य न0दे0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

5– खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में नियोजित कारीगर एवं वेटरों को श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. एक्ट कान्ट्रेक्ट, लेबर एक्ट के प्रावधानों ( इनमें से जो भी लागू हो ) के अनुपालन की समस्त जिम्मेदारी केटरिंग फर्म की होगी। खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जायेगा।

6– फर्म द्वारा उपभेक्ता को प्रदान किये जाने वाले भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज, दालें, ताजी सब्जियां, रिफाईन्ड तेल, ब्रांडेड एगमार्ग मसाले एवं डेरी प्रोडक्ट्स दही, दूध, पनीर, मावा, आदि गुणवत्ता युक्त मिलावट रहित खाद्य सामग्री का उपयोग करना होगा।

7– यदि केटरिंग फर्म द्वारा उपभेक्ता को प्रदान की गई खाद्य सामग्री सें उपभोक्ता को फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व केटरिंग फर्म का होगा।

8– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए बर्तन(utensils) तथा आवश्यक संख्या में वर्दीधारी वेटरों की व्यवस्था केटरिंग फर्म द्वारा की जाएगी ।

Scanned with OKEN Scanner

9– केटरिंग फर्म द्वारा निर्धारित समय पर खाद्य सामग्री ताजी एवं गर्म परोसी जायेगी।

10– पैक्ड लंच/डिनर के लिए लेमीनेटेड एल्यूमिनियम फॉइल युक्त कार्ड डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। चावल, सब्जी, दाल, रायता एवं स्वीट डिस पैक करने के लिए प्लास्टिक डिस्पोजल ढक्कन सहित कटोरी का उपयोग किया जाएगा। सलाद एवं अचार प्लास्टिक के जिप युक्त थैली में पैक की जाएगी। रोटी/पराठा अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम फॉइल में रोल करके पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जायेगी। प्रत्येक डिब्बे को रबर बैंड से बन्द करना होगा साथ ही रबर के साथ दो पेपर नैपकिन रखना होगा। प्रत्येक पैकेट को बन्द करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य सामग्री का रिसाव न हो । पैक्ड आयटम मानक अनुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान से कटौती की जा सकती है।

11– पैक्ड ब्रेकफास्ट के लिए एल्यूमिनियम फॉइल युक्त कार्डबोर्ड के डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। ढोकला/येज सैंडविच को प्लास्टिक के पाउच में पैक किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में एक डिस्पोजल चम्मच रखी जाएगी। डिब्बे में सामग्री रखने के बाद प्रत्येक डिब्बे के ऊपर पेपर नैपकिन रखकर रबर बैंड से बन्द किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित पैकिंग मटेरियल खाद्य पदार्थ ग्रेड का होना आवश्यक है।

13– कैंटीन/केटरिंग व्यवस्था के लिए केन्द्र/राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित टैक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान अनिवार्य रुप से करने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा। फर्म के देयक से नियमानुसार टैक्स की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।

14– कैन्टीन परिसर में अग्नि शामक यन्त्र को स्थापित करना तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15– खाद्य सामग्री की दरें आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) की होगी तथा पैक्ड सामाग्री की दरें अधिक्तम प्रिंटेड खुदरा मूल्य से अधिक नहीं ली जायेगी।

16– विद्युत, अग्नि, गैस व अन्य प्रकार की दुर्घटना होने पर सम्बन्धित फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

17– उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में यदि कोई वाद दायर किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

18– निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय टैक्स की दर पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

19– स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। अस्वीकृत निविदादाता की सुरक्षा निधि राशि एक माह के अन्दर वापस लौटा दी जायेगी।

20– निविदा पूर्ण या आंशिक रुप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

21– कार्य आदेश की मात्रा को देखते हुए फर्म के अनुरोध पर विश्वविद्यालय परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने के उपयोग में आने वाले बर्तन, ईंधन आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना होगा। भोजन बनाने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था स्वयं सफल निविदाकर्ता द्वारा की जायेगी। निविदाकर्ता द्वारा फूड सेफ्टी नार्मस का पालना करना होगा। निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ0प्र0) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

22– निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर विश्वविद्यालय स्वविवेक से पैरामीटर / प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

23– किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार अयोध्या न्यायालय होगा।

24– प्लास्टिक से निर्मित कप, प्लेट, दोना, पत्तल, चम्मच आदि का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। कैंटीन परिसर में कूड़ा/ वेस्ट निस्तारण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का होगा।

25– कैंटीन के अंदर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों अथवा द्रव्यों/ धूम्रपान (पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

26– कैंटीन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व कैंटीन संचालक का होगा। अतएव जिन परिस्थितियों का उल्लेख निविदा फार्म में नहीं किया गया है उनके लिए भी कैंटीन संचालक उत्तरदायी होगा।

27– यह निविदा अहस्तांतरणीय है।

Scanned with OKEN Scanner

28– चयनित फर्म अपने कर्मियों की निष्ठा एवं आचरण का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं उनका अभिलेख रखेगी। कैंटीन के प्रत्येक कर्मी ( कुक/वेटर ) के पास पहचान–पत्र होना अनिवार्य होगा तथा वे अपनी वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगाएंगे। कैंटीन संचालन में नियोजित श्रमिकों की उम्र एवं अन्य शर्तें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रम कानूनों में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप करना बाध्यकारी होगा।

29– निविदा खोलते समय यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

30– निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा कैंटीन में कार्यरत कर्मियो की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्य अवधि में अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा कैंटीन संचालक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही के साथ निम्नानुसार क्षति पूर्ति की राशि वसूल की जाएगी :–

| स.क्र. | विवरण | क्षतिपूर्ति की राशि |
|---|---|---|
| 1. | वेटरो/कुक निर्धारित यूनिफार्म में न होने पर | रु.100/– प्रति दिन प्रति व्यक्ति |
| 2. | कैंटीन संचालक द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों को न मानने पर | रु.25,000/–निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । |

31– कैंटीन में कार्यरत कर्मियों के इन्श्योरेन्स की जिम्मदेारी कैंटीन संचालक की होगी ।

32– भुगतान हेतु देयक आगामी माह के प्रथम सप्ताह तक सभी आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के साथ विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। दो माह के बाद देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।

33– कैंटीन का आधार मूल्य निर्धारित किया गया है इससे ऊपर अधिकतम धनराशि की **निविदा** देने वाले के पक्ष में कैंटीन दी जा सकती है । जिसका किराया प्रति माह विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। बिजली का सब मीटर लगा हुआ

Scanned with OKEN Scanner

है, जिसकी रीडिंग के अनुसार विद्युत व्यय प्रचलित कमर्शियल दर पर प्रति यूनिट की दर से पृथक से विश्वविद्यालय में प्रति माह जमा करना होगा।

34– कैंटीन में प्रदान की जाने वाली खादय सामग्री की गुणवत्ता एव साफ–सफाई की स्थिति की निगरानी हेतु विश्वविद्यालय अधिकारी/समिति की नियुक्ति कर सकेगा।

35– निगरानी समिति तथा निविदाकार के मध्य किसी विवाद की स्थिति में गुण–दोषों के आधार पर कुलपति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

36– निगरानी समिति को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री को चखकर (खाकर) सुनिश्चित करें, जिसके लिए उपयोग सामग्री का कोई मूल्य पृथक से देय नहीं होगा।

37– विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित कार्यक्रमों के खाद्य/पेय सामग्री प्रदान करने हेतु सक्षम / अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित कार्यादेश प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर ही आपूर्ति की गई सामग्री के देयको का भुगतान देय होगा।

38– नाश्ता एवं भोजन की दर निम्नानुसार होगी जो कि प्रति वर्ष कृषि विश्वविद्यालय और निविदाकार के आपसी सहमति से तय की जायेगी।

| क0 सं0 | सामग्री | दर |
|---|---|---|
| 1 | कुल्हड़ चाय | 10.00 |
| 2 | समोसा | 10.00 |
| 3 | नाश्ता | 50.00 |
| 4 | थाली | 120.00 |
| 5 | पैक्ड खाद्य सामग्री (ब्रान्डेड) | अधिकतम खुदरा मूल्य पर |

39– जिस फर्म/व्यक्ति के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसे कैंटीन के फर्नीचर्स और फिक्चर्स को प्राप्त करना होगा और निविदा अवधि समाप्त होने पर उसे विश्वविद्यालय को वापस करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

40– जिस फर्म/व्यक्ति के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी, उसे धरोहर धनराशि रूपया 25000.00 मात्र जमा करना होगा। जो कि निविदा अवधि समाप्ति के पश्चात वापसी योग्य होगी।

41– जिस फर्म/व्यक्ति के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी, उसका जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

42– सुरक्षा का दृष्टि से यदि आवश्यक होगा तो विश्वविद्यालय कैंटीन में उचित स्थान पर कैमरा लगवा सकता है।

43– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक .....अपरान्ह 12.00 बजे तक है।

44– निविदा प्राप्तकर्ता को कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबन्धित होगा।

**वांछनीय योग्यताः–**

1– जिस फर्म/व्यक्ति के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसे पिछले तीन वर्ष का आई0टी0आर0 वांछित है।

2– जिस फर्म/व्यक्ति के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगी उसका उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार एफ0एस0एस0ए0आई0 प्रमाण पत्र वांछित है।

उपरोक्त समस्त शर्तें मुझे मान्य है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि निविदा प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित जानकारी सत्य है ।

निविदाकर्ता का नाम

:.....

पता :.....

.....

मो0 :.....

हस्ताक्षर एव मुहर

Scanned with OKEN Scanner